न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 88 / 2019

सोहन लाल उम्र 70 साल पुत्र छोगा जाति माली निवासी ग्राम कादेड़ा तहसील केकड़ी जिला अजमेर

—— प्रार्थी

बनाम

1. हरजी उम्र 63 साल पुत्र चतुर्भुज जाति माली
2. भैरू उम्र 72 साल पुत्र छोगा जाति माली
3. कना उम्र 60 साल पुत्र छीतर जाति माली
4. अम्बालाल उम्र 68 साल पुत्र नारायण जाति माली
5. भादू उम्र 70 साल पुत्र छोटू माली
6. समस्त निवासीगण ग्राम कादेड़ा तहसील केकड़ी जिला अजमेर राज0
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर

——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थितः— श्री मगन लाल लोधा वकील— प्रार्थी
तहसीलदार केकड़ी — पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 22.11.19

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कादेड़ा पटवार हल्का कादेड़ा तहसील केकड़ी जिला अजमेर की आराजी जिसका विवरण निम्न प्रकार है:—

खाता संख्या		खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
नया	पुराना			
1140	1063	3330	1.10	चाही 1

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण के कब्जे स्वामित्व आधिपत्य व खातेदारी की आराजीयात है जो प्रार्थीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे चली आ रही है। प्रार्थीगण ही इस आराजी से काश्त कर पैदावार प्राप्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात मे स्थाई सीमाचिन्ह नहीं होने से प्रार्थीगण की आराजीयात की सीमा को लेकर काश्त करने मे आये दिन विवाद होता रहता है,इसलिए प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजीयात का नाप चौप करवाकर स्थाई सीमाचिन्ह स्थापित करवाना चाहता है जिससे भविष्य मे प्रार्थीगण की आराजीयात की सीमा को लेकर कोई विवाद नहीं हो सके। प्रार्थीगण ने करीब 01 माह पूर्व अप्रार्थी को अपनी आराजीयात का सीमाज्ञान करवाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई है अतः यह प्रार्थना पत्र वास्ते स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित करने हेतु स्थापित करने हेतु पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का मूल कारण दिनांक 29.03.2019 को प्रथम बार उत्पन्न हुआ जब प्रार्थीगण की आराजीयात का सीमाज्ञान अप्रार्थी द्धारा नहीं करवाया गया तब से अब दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है। प्रकरण क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी पैरोकार सरकार को तलब किया गया। पैरोकार सरकार तहसीलदार केकड़ी ने जवाब

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (जिला-अजमेर)

प्रस्तुत करते हुए बताया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है तथा दावा प्रार्थीगण उचित है। अप्रार्थी का जवाब प्रस्तुत होने पर बहस पक्षकारान की सुनी गई।

प्रार्थीगण के लायक वकील श्री नवल किशौर पारीक ने अपनी बहस प्रारंभ करते हुए बताया कि प्रार्थीगण ग्राम नायकी तहसील केकड़ी की प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात का मौके पर नाप–चौप कर स्थाई सीमाचिन्ह (पत्थरगढ़ी)स्थापित करने हेतु अप्रार्थी को आदेश प्रदान करने की कृपा करावे। अप्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार केकड़ी ने अपनी प्रत्युत्तर बहस मे कथन किया कि प्रार्थी का दावा उचित है।

हमने पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया। वकील पक्षकार की बहस पर गौर किया। प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा प्रश्नगत आराजी उनकी खातेदारी मे स्थित है तथा नियमानुसार खातेदार अपनी आराजी का सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करवाने का हक रखते है। इस प्रकरण मे प्रार्थीगण की खातेदारी का सीमाकंन अप्रार्थी द्धारा नहीं किया जाने के फलस्वरूप प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड़ा यह स्थिति उचित नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्धारा नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क जमा कराने पर अनुभवी कार्मिको की टीम गठित कर सीमाज्ञान की कार्यवाही नियमानुसार यथा शीघ्र करने के आदेश तहसीलदार केकड़ी को दिए जाते है। प्रार्थना पत्र का खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी केकड़ी
उपखण्ड अधिकारी
केकडी (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2019.12.02 12:16:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: